अनुसूची14—फारम सं0 563

आदेश की क्रम—संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
02/04/13.	न्यायालय- अनुमण्डल दण्डाधिकारी, अरवल । वाद सं0- 348/2012 106/13. ,धारा- 133 द0 प्र0 सं0 कौशल्या देवी बनाम प्रयाग साव,वगैरह आदेश उभय पक्ष को सुना । प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल आवेदन के आलोक में सूचना निर्गत करते हुए द्वितीय पक्ष से स्पष्टीकरण की माँग की गई। एवं अंचल अधिकारी,कुर्था से जाँच प्रतिवेदन की भी माँग की गई। प्रथम पक्ष अपने आवेदन में द्वितीय पक्ष पर आरोप लगाये हैं कि खाता सं0- 280, प्लॉट सं0- 1281 एवं 1282, रकबा- लगभग एक कट्ठा में आवेदक का मकान निर्मित है एवं द्वितीय पक्ष मकान के सटे दक्षिण- पूरब खाता नं0-280, प्लॉट नं0-1281 में विपक्षीगण को रकबा- $2\frac{1}{2}$ धुर लगभग की भूमि हिस्सा में प्राप्त है जिस पर वे आटा चक्की एवं धान कूटने की मशीन लगा दिये हैं एवं डीजल	

अनुसूची14—फारम सं0 563

आदेश की क्रम—संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	-2- चालित इंजन से धान की कुटाई तथा आटा की पीसाई इत्यादि का कार्य करते हैं जिससे मेरा (प्रथम पक्ष) का मकान का दीवार क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में है एवं डीजल मशीन से निकलने वाले धुआँ से विषैले गैस से वातावरण को प्रदूषित कर रहा है । द्वितीय पक्ष अपने आवेदन में कहते हैं कि उक्त वाद की कार्यवाही हेतु पब्लिक लैण्ड होना पहली शर्त्त है ,लेकिन प्रथम पक्ष अपने नीजी भूमि पर कार्यवाही प्रारम्भ हेतु आवेदन प्रस्तुत किये हैं । अंचल अधिकारी ,कुर्था अपने जाँच पत्रांक-580 दिनांक- 19/ 7/ 12 से जो प्रतिवेदन समर्पित किये हैं उसमें उल्लेख किया गया है कि जाँच में मशीन बन्द पाया । एवं प्रयाग साव उद्योग विभाग द्वारा जाँच कर अनुज्ञप्ति जारी किया गया है ।	

अनुसूची14–फारम सं0 563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

–3–

अत: उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रथम पक्ष द्वारा जो यह वाद लाया गया है वह बिल्कुल निराधार है क्योंकि विपक्षी द्वारा लगाया गया आटा चक्की का मशीन जिला उद्योग विभाग द्वारा जाँचोपरान्त हीं अनुज्ञप्ति जारी किया गया है । और अंचल अधिकारी, कुर्था द्वारा जाँच भी किया गया तो मशीन बन्द पाया गया । ऐसी स्थिति में वाद का संचालन का कोई औचित्य नहीं है ।

अत: वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है। आदेश से विज्ञ अधिवक्ता को अवगत करावें ।

लेखापित एवं संशोधित

अनु0 दण्डाधिकारी, अरवल ।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी, अरवल ।

22/4/13 ... सं0 100 दिनांक 22/4/13 ... जिला गया